# मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-4

## संक्षिप्त कार्य विवरण

### पत्रक भाग-एक

**गुरुवार, दिनांक 10 फरवरी, 2005 (माघ 21, 1926)**

**विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

## 1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(डॉ. सुनीलम्, श्री रामलखन शर्मा, श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा तथा श्री मनमोहन शाह बट्टी, सदस्य द्वारा प्रश्न संख्या-16 (क्रमांक-536) पर उनकी बात न सुनी जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 44 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 44 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

## 2. पृच्छा

### महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में गलत जानकारी दिया जाना

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष द्वारा शून्यकाल के दौरान आपत्ति उठाई गई कि दिनांक 7 फरवरी, 2005 को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सहकारी संशोधन विधेयक के माध्यम से सहकारी संस्थाओं में पदाधिकारी बनाने पर रोक लगाई है जबकि इस अधिनियम को राज्यपाल महोदय ने अभी स्वीकृत नहीं किया है और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में गलत जानकारी दिलवाई गई है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि कितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो, उसको सदन में नियम और प्रक्रिया के तहत ही उठाया जा सकता है। इसलिए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब भी चर्चा हो, इस बात को आप अपने भाषण में कहें और तब आप इन तथ्यों को यहां पर रखें। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में की गई त्रुटि को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में ही आप उठायें, अलग से नही उठायें।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष तथा श्री राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त सदस्य मंदसौर के कलेक्टर द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाने के विरोध में अपनी-अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आ गये तथा कुछ समय पश्चात् अध्यक्ष महोदय के अनुरोध पर वापस अपने आसन पर चले गये)

## 3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य ने मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल द्वारा प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों/महाविद्यालयों एवं शालाओं को दी जा रही विद्युत वाणिज्यिक दर से वसूलने,

(2) श्री दरबू सिंह उइके, सदस्य ने म.प्र. राज्य वन विकास निगम द्वारा मंडल सिवनी, बालाघाट, शहडोल में बांस कटाई, लकड़ी कटाई एवं मजदूरी की पुरानी दर दी जाने,

(3) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने भोपाल जिले के पर्यावास भवन, जेल रोड से होशंगाबाद रोड की जर्जर हालत होने,

(4) श्री मोहन शर्मा, सदस्य ने नरसिंहगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बैरसिया से गुआसा के मध्य सूकड़ नदी पर पुल रपटा निर्माण न किये जाने,

(5) डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने बैतूल जिले के मुलताई तथा आमला में हुई ओलावृष्टि एवं तेज बारिश से फसलें चौपट होने,

(6) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत अत्योदय योजना के तहत शासकीय दरों पर दी जाने वाली सामग्री की कालाबाजारी होने,

(7) श्री हरिशंकर खटीक, सदस्य ने जिला टीकमगढ़ की तहसील पलेरा में रिक्त नायब तहसीलदार के पद भरे जाने, तथा

(8) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने जिनेदार सिंह की नाबालिग पुत्री निवासी रामनगर थाना सिटी कोतवाली मुरैना के अपहरण होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

## 4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य ने भोपाल नगर निगम क्षेत्र में प्रदूषित जल सप्लाई से कई बस्तियों में पीलिया जैसी जान लेवा बीमारी का प्रकोप होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयन्त मलैया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री छत्रपति सिंह, सदस्य की सदन से अनुपस्थिति के कारण "सीधी जिले के ग्राम चमारीडोल में शासन की भूमि पर 50 वर्षों से रह रहे कास्तकाबिजों के पट्टों का दूसरे ग्रामवासियों के नाम जारी होने" संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचना प्रस्तुत नहीं हो सकी)

## 5. वक्तव्य

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विद्युत व्यवस्था के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

## 6. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

श्री हिम्मत कोठारी, सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना भाषण प्रारम्भ कर पूर्ण किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में मेरे पास 10 सदस्यों के संशोधनों की सूचना प्राप्त हुई है. उनमें से जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे, उन्हें मैने अग्राह्य कर दिया है.

संशोधन बहुत बड़े-बड़े है, मैं पूरे संशोधनों को नहीं पढ़ूंगा। केवल उनके प्रस्तावकों के नाम और संशोधन क्रमांक ही पढ़ूंगा। जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होंगे, उनके संशोधन प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

| सदस्य का नाम | संशोधन क्रमांक |
|---|---|
| श्री रामलखन शर्मा | 1 |
| श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा | 2 |
| श्री राजनारायण सिंह पुरनी | 3 |
| श्री आरिफ अकील | 5 |
| डॉ. सुनीलम् | 6 |

**(1.02 बजे से 2.31 बजे तक अन्तराल)**

**उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.**

**राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री हिम्मत कोठारी, सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-**

**(1) श्री राजनारायण सिंह पुरनी**
**(2) श्री रामलखन शर्मा**
**(3) डॉ. सुनीलम्**
**(4) श्री दुर्गालाल विजय**
**(5) श्री शंकर लाल तिवारी**
**(6) श्री बाबूलाल सीताराम महाजन**
**(7) श्री ज्ञान सिंह**

**(चर्चा अपूर्ण)**

**5.04 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 15 फरवरी, 2005 (माघ 26, 1926) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.**

**डॉ. ए.के.पयासी**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**